रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062020-219811
CG-DL-E-08062020-219811

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1606] नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2020/ज्येष्ठ 18, 1942
No. 1606] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2020/JYAISTHA 18, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

का.आ. 1788(अ).—केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में तारीख 17 मार्च, 2017 के का. आ. 850 (अ) द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:
उक्त अधिसूचना में,

(i) पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

'' 2 क पैरा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी महाराष्ट्र में इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, 16 सितम्बर, 2020 तक की अवधि के लिए कार्यभार संभालेंगें'';

(ii) पैरा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

'' 8(क) पैरा 8 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी महाराष्ट्र प्रथम एसईएसी, द्वितीय एसईएसी और तृतीय एसईसी के अध्यक्ष और सदस्य, 16 सितम्बर, 2020 तक की अवधि के लिए कार्यभार संभालेंगें;''

[फा.सं.जे. जे-11013/30/2007-.आईए-II(I)]

अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में का.आ. 850 (अ) तारीख 17 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् तारीख 12 मार्च, 2017 के का.आ. 4040 (अ) द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2020

S.O. 1788(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 850(E), dated the 17th March, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-

''2 A Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the Chairman and Members of the Authority, Maharashtra shall hold office for a term up to the 16th September, 2020.'';

(ii) after paragraph 8, the following paragraph shall be inserted, namely:-

''8 A Notwithstanding anything contained in paragraph 8, the Chairman and Members of the first SEAC, second SEAC and third SEAC, Maharashtra shall hold office for a term up to the 16th September, 2020.''.

[F.No. J-11013/30/2007-IA.II(I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 850 (E), dated the 17th March, 2017 and subsequently amended *vide* number S.O. 4040(E), dated the 12th December, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.08 19:32:40 +05'30'